न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया ।

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 127 / 2022

प्रार्थी :–

1 जेठुसिंह पुत्र श्री भवंरसिंह
जाति राजपुत निवासी पल्ली तहसील लोहावट।

–: ब नाम :–

अप्रार्थीगण :–

1 अनोपनाथ पुत्र गोरखनाथ
2 चावलनाथ पुत्र गोरखनाथ
3 तुलछनाथ पुत्र गोरखनाथ
4 पारसनाथ पुत्र गोरखनाथ
5 भीखनाथ पुत्र गोरखनाथ
6 रूगनाथ पुत्र गोरखनाथ
जति जोगी निवासी पाबुनगर तहसील ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री जसवन्तसिंह चौहान उपस्थित ।

बाबत पत्थर गड़्डी करवाने हेतु

– निर्णय –

दिंनाक – 14/6/2022

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम पाबुनगर के खसरा न. 1349/4 रकबा 05.0586 हैक्टेयर खसरा न. 1349/5 रकबा 00.8417 हैक्टेयर खसरा न. 1349/6 रकबा 04.0469 हैक्टेयर खातेदारी की आई हुई है । उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण का शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त है प्रार्थी के उक्त भूमि में नलकुप खुदा हुआ है तथा हाल ही में विधुत सम्बंध आ जाने के कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमि के पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसके प्रार्थी ने तहसीलदार औसिया से उक्त भूमि का पेमाइस आदेश करवाकर पटवारी को लेकर दिनांक 18.3.2022 को मौके पर सीमांकन करने के लिए गये तो अप्रार्थीगण ने मौके पर पेमाईश करने नही दी तथा विवाद कर दिया अप्रार्थीगण पुरानी सीमाओ को खुर्द बुर्द करके अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थी को नलकुप को चालु करने के लिए मौके पर पत्थरगढी करके तारबंदी व जाली करवाना अति आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा है । प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतू पत्थर गड़्डी करवाना चाहते है। वक्त पेमाईश अप्रार्थीगण ने विवाद पैदा किया तथा मौके पर शान्ति भंग करने की चेष्टा की है इसलिए प्रार्थी को पुरा भय व शका है

सहायक कलेक्टर, ओसिया

कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर सकते है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पत्थर गड्डी करवाना चाहते है । इसलिए यह प्रार्थना पत्र पत्थर गड्डी करवाने हेतू पेश है । अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम पाबुनगर के खसरा न. 1349/4 रकबा 05.0586 हैक्टेयर खसरा न. 1349/5 रकबा 00.8417 हैक्टेयर खसरा न. 1349/6 रकबा 04.0469 हैक्टेयर भूमि के लिए राजस्व टीम गठित करके सीमांकन किया जाकर चारो तरफ पत्थर गड्डी करवाने का आदेश फरमावे एवं एस.एच.ओ. ओसिया को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावे ताकि मौके पर शांन्ति व्यवस्था कायम रह सके ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किये गये जो सामिल मिसल किये गये । अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान ने वकालातनामा पेश किया और उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर खण्डन किया है । अप्रार्थी ने अपने जबाब मे प्रार्थी ने तहसीलदार ओसिया से कब पेमाइश आदेश करवाया अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है। दिनांक 18.3.2022 को प्रार्थी हल्का पटवारी को अवश्य ही लेकर आये थे लेकिन प्रार्थी व हल्का पटवारी अपनी मनमर्जी से माप कर रहे थे प्रार्थी के पक्ष में माप कर रहे थे। अप्रार्थीगण को नलकुप की कोई जानकारी नही थी, हल्का पटवारी ने जो पेमाइश रीपोर्ट बनवाई है वह गलत है। अप्रार्थीगण ने गलत सीमांकन करके मनमर्जी से पत्थरगढी करने का विरोध किया था। यदि राजस्व टीम गठित करके सही सीमांकन करके पत्थरगढी की जावे तो अप्रार्थीगण को आपति नही है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाबुनगर के खसरा न. 1349/4 रकबा 05.0586 हैक्टेयर खसरा न. 1349/5 रकबा 00.8417 हैक्टेयर खसरा न. 1349/6 रकबा 04.0469 हैक्टेयर भूमि राजस्व टीम गठित करके पेमाईश करवा करके चारो तरफ पत्थर गड्डी करवाने का आदेश दिया जाता है एवं एस.एच.ओ. ओसिया को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश दिया जाता है ताकि मौके पर शांन्ति व्यवस्था कायम रह सके । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी, ओसिया

आदेश आज दिनांक 14/6/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, ओसिया ।